संख्या- 2 /2018/436 /अड़तीस-5-2018-2 बजट/2016(1)

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक 31 जनवरी, 2018

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग केन्द्रांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि से अवशेष केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-83)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 555 /ई-2/ 2017, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 एवं अपने पत्र संख्या-649/ई-2/2017 दिनांक 06-11-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत कुल रू0 15797.100 लाख की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी। उक्त प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में रू0 16851.460 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। केन्द्रांश के रूप में अवशेष धनराशि रू0 7247.409 लाख तथा राज्यांश के रूप में रू0 4587.022 लाख की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में शासनादेश संख्या- 15/ 2017/ 2632/38-5-2017-2 बजट/ 2016 (1) दिनांक 28 नवम्बर, 2017 द्वारा केन्द्रांश के शार्टफाल की धनराशि रू0 4749.251 लाख की स्वीकृति निर्गत की गई।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश के शार्टफाल की प्रतिपूर्ति हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अवशेष केन्द्रांश रू 2498.158 लाख (रूपये चौबीस करोड. अटठानबे लाख पन्द्रह हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0	पेयजल कार्यक्रम के घटक	प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष पूर्व में निर्गत केन्द्रांश	वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रांश का शार्टफाल	वित्तीय वर्ष 2017-18 में संचालन एवं रखरखाव मद में अधिक निर्गत की गई धनराशि का समायोजन	अवशेष अनुमन्य केन्द्रांश के शार्टफाल की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)
83	कवरेज	8572.162	6442.204	2129.958	30.978	2498.158
	सस्टेनविलिटी	1142.946	743.968	399.178		
			योग	2529.136	30.978	

(रूपये चौबीस करोड. अटठानबे लाख पन्द्रह हजार आठ सौ मात्र)

(I) धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रोग्राम फण्ड/ सपोर्ट फण्ड में जमा की जायेगी एवं यथावश्यकता सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जायेगी।

(III) उक्त वित्तीय स्वीकृति में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03-08-2017 एवं तत्क्रम में निर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या - 12/2017 बी-1-1455/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 20-11-2017 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(IV) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा उसका व्यय उन्ही मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(V) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/ भारत सरकार तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा।

3- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल सूचित किया जाएगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0 डी0डब्लू0पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-8/2017 बी-1-1190/ दस-2017-231/2017, दिनांक 3 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या - 12/2017 बी-1-1455/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 20-11-2017 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

संख्याः 2 /2018/ 436 (1)/अड़तीस-5-2018-2 बजट/2016(1), तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
(2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(8) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

30/11/17